



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 60]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 29, 2011/चैत्र 8, 1933

No. 60]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 29, 2011/CHAITRA 8, 1933

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2011

फा. सं. एस-एडीएमएन/II/8/2010.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण.—(1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए पहुंच सहिता) विनियम, 2011 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं.—(1) इन विनियमों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "पहुंच प्रबंध" का अर्थ प्राधिकृत कंपनी और शिपर के बीच सविदा से है जो नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क में प्रवेश बिंदु क्षमता, निकास बिंदु क्षमता और सीएनजी निकास बिंदु क्षमता तक पहुंच के लिए निबंधन एवं शर्तों को परिभाषित करती है और इसे प्राधिकृत कंपनी की वेबसाइट पर डाला जाता है;

बशर्ते कि पहुंच व्यवस्था बोर्ड द्वारा जारी पहुंच व्यवस्था दिशा-निर्देशों पर आधारित होगी :

आगे बशर्ते यह कि वेब पर डाली गई क्षमता उपलब्ध क्षमता होगी;

(ख) "अधिनियम" का अर्थ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 से है;

(ग) "आबंटित क्षमता" का अर्थ निकास बिंदु पर सुपुर्दी के लिए प्राधिकृत कंपनी और शिपर के बीच सहमत प्रवेश बिंदु पर एमएमबीटीयू में अनुसूचित अधिकतम दैनिक क्षमता से है;

(घ) "निर्धारित दिन" का अर्थ 1 अक्टूबर, 2007 तारीख से है जब केन्द्र सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड की स्थापना को अधिसूचित किया था;

- (ड.) "प्राधिकृत कंपनी" का अर्थ उस कंपनी से है जिसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 के अंतर्गत भौगोलिक क्षेत्र में नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए प्राधिकृत किया गया है और उसके अंतर्गत संगत विनियम बनाए गए हैं;
- (च) "बोर्ड" का अर्थ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 के अंतर्गत स्थापित प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड से है;
- (छ) "सीएनजी निकास बिंदु" का अर्थ उस बिंदु से है जहां से प्राधिकृत कंपनी द्वारा सीएनजी को सीएनजी कंप्रेसर के बिक्री केन्द्र पर मीटर की उचित व्यवस्था सहित शिपर को डिलीवरी करने के लिए सीएनजी कंप्रेसर निकास बिंदु से निकाला जाता है;

बशर्ते कि सीएनजी निकास बिंदु ट्यूब कनेक्शन या यूनियन पर समाप्त हो जाएगा, जहां कंप्रेसर निकास डिस्पेंसर से जुड़ा होता है तथा शिपर के सीएनजी कैस्केड की स्थिति में यह फिलिंग नोजल से जुड़ा जाता है;

- (ज) "सीएनजी निकास बिंदु क्षमता" का अर्थ किलोग्राम (कि.ग्रा.) में मापी गई सीएनजी की अधिकतम गुणवत्ता से है, जो अधिकृत कंपनी एक दिन में संगत सीएनजी निकास बिंदु पर शिपर को डिलीवर करेगी;

बशर्ते कि सीएनजी मात्रा को अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट अनुसार परिवर्तन सूत्र का प्रयोग करके ऊर्जा मूल्य में परिवर्तित किया जाएगा;

आगे बशर्ते यह कि अधिकृत कंपनी अप्रेंट द्वारा समय-समय पर सजातीय क्षेत्र को परिभाषित किया जाए तथा इसकी जानकारी शिपर को दी जाए;

- (झ) "सीएनजी निकास बिंदु अधिकतम दैनिक मात्रा ("सीएनजी निकास बिंदु एमडीक्यू") का अर्थ रुपए/किलोग्राम (कि.ग्रा.) में मापी गई प्राकृतिक गैस की अधिकतम मात्रा से है, जिसे शिपर द्वारा एक दिन में संगत सीएनजी निकास बिंदु से लिया जा सकता है;
- (ञ) "सीएनजी के लिए कंप्रेशन प्रभार" का अर्थ प्राकृतिक गैस को कंप्रेसड प्राकृतिक गैस का ऑनलाइन कंप्रेशन करने हेतु लिए जाने वाले प्रभार रुपए/कि.ग्रा.(सांविधिक कर और शुल्क को छोड़कर) से है ताकि उसे बाद में बोर्ड द्वारा निर्धारित और अनुमोदित अनुसार किसी सीएनजी स्टेशन में उपभोक्ताओं को वितरित किया जा सके;
- (ट) "दिन" का अर्थ लगातार चौबिस घंटों की अवधि से है जो दिन में प्रातः 0600 बजे शुरू होता है और अगले दिन प्रातः 0600 बजे से पहले समाप्त होता है;
- (ठ) "विनिर्दिष्ट निकास बिंदु" का अर्थ उस निकास बिंदु से है जिसके लिए शिपर और प्राधिकृत कंपनी के बीच गैस सुपुर्दगी के लिए परस्पर सहमति हुई हो;

- (ड) "सुपुर्दगी मात्रा" का अर्थ प्राधिकृत कंपनी द्वारा शिपर के विनिर्दिष्ट निकास बिंदु पर प्राधिकृत कंपनी द्वारा एमएमबीटीयू में दी गई गैस की मात्रा से है;
- (ढ) "विवाद" का अर्थ इन विनियमों या पहुंच व्यवस्था के अंतर्गत या इस संबंध में कंपनी के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद या अंतर से है;
- (ण) "दूरवर्ती कनेक्शन" का अर्थ शिपर को दिए जाने वाले उस कनेक्शन से है जिसे वह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, विशेषकर (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए विशिष्टता) विनियम, 2008 के विनियम 9 के प्रावधानों से आगे भौगोलिक क्षेत्र के किसी प्रकार क्षेत्र में कनेक्टिविटी के लिए चाहता हो;
- (त) "प्रवेश बिंदु" का अर्थ उस बिंदु से है जहां किसी शिपर द्वारा डिलीवर की गई प्राकृतिक गैस को नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क में डाला जाता है तथा नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए गैस प्राप्ति विशेष रूप से सिटी गेट स्टेशन के लिए होनी चाहिए:

बशर्ते कि नेटवर्क पर अन्य किसी बिंदु पर प्राप्ति, पहुंच व्यवस्था में प्राधिकृत कंपनी और शिपर के बीच परस्पर सहमति से हुई हो;

आगे बशर्ते कि नए भौगोलिक क्षेत्र या मौजूदा सीजीडी नेटवर्क के विस्तार के लिए अपेक्षित गैस विशेष रूप से ट्रांसमिशन या सब-ट्रांसमिशन पाइपलाइन से दी जाए न कि मौजूदा भौगोलिक क्षेत्र से;

- (थ) "प्रवेश बिंदु क्षमता" का अर्थ किसी विशिष्ट सकल कैलोरीयुक्त मूल्य पर एमएमबीटीयू में प्राकृतिक गैस की अधिकतम मात्रा से है, जो प्राधिकृत कंपनी एक दिन में संगत प्रवेश बिंदु पर शिपर से प्राप्त करेगी कि ताकि उसे विनिर्दिष्ट मौजूदा बिंदु पर दिया जा सके;
- (द) "प्रवेश बिंदु अधिकतम दैनिक मात्रा" ("प्रवेश बिंदु एमडीक्यू") का अर्थ किसी विशिष्ट सकल कैलोरीयुक्त मूल्य पर एमएमबीटीयू में प्राकृतिक गैस की अधिकतम मात्रा से है जिसकी क्षमता शिपर को आबंटित की गई है तथा जिसे प्राधिकृत कंपनी पहुंच व्यवस्था में सहमति अनुसार एक दिन में संगत प्रवेश बिंदु पर शिपर से प्राप्त करेगी;
- (ध) "विशिष्टता अवधि" का अर्थ सामान्य वाहक या संविदा वाहक के क्षेत्राधिकार से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए विशिष्टता) विनियम, 2008 के अंतर्गत बोर्ड द्वारा दी गई अवधि से है;
- (न) "निकास बिंदु" का अर्थ उस बिंदु से है जहां से शिपर द्वारा प्राकृतिक गैस नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क से ली जाती है जैसी कि प्राधिकृत कंपनी और शिपर के बीच पहुंच व्यवस्था में सहमति हुई हो तथा ऐसे निकास बिंदु सभी मीटर

स्टेशनों, सीएनजी निकास बिंदु तथा पहुंच व्यवस्था में शिपर और प्राधिकृत कंपनी के बीच सहमत ऐसे सभी अन्य बिंदुओं पर होंगे:

बशर्ते कि:-

- (i) घरेलू पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस (पीएनजी) के लिए निकास बिंदु संबंधित डीपीआरएस होंगे। इस बिंदु को गैस के घरेलू उपयोग हेतु लिए जाने पर विचार किया जाएगा;
 - (ii) किसी नए निकास बिंदु पर निर्णय तकनीकी और सुरक्षा आधार पर परस्पर सहमति से लिया जाएगा।
- (प) "निकास बिंदु क्षमता" का अर्थ किसी विशिष्ट सकल कैलोरीयुक्त मूल्य पर एमएमबीटीयू में प्राकृतिक गैस की अधिकतम गुणवत्ता से है, जिसे प्राधिकृत कंपनी शिपर को एक दिन में संगत निकास बिंदु पर डिलीवर करेगी;
- (फ) "निकास बिंदु अधिकतम दैनिक गुणवत्ता" (निकास बिंदु एमडीक्यू) का अर्थ किसी विशिष्ट सकल कैलोरीयुक्त मूल्य पर एमएमबीटीयू में प्राकृतिक गैस की अधिकतम मात्रा से है जिसे शिपर द्वारा एक दिन में विशिष्ट मीटर स्टेशन और सीएनजी निकास बिंदु से लिया जा सकता है;
- (ब) एक दिन में "असंतुलित मात्रा" का अर्थ विनियम 15 में विनिर्दिष्ट अनुसार उस दिन के सकारात्मक असंतुलित या नकारात्मक असंतुलित मात्रा से है;
- (भ) "लाइन पैक" ("एलपी") का अर्थ गैस की उस मात्रा से है जिसे नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क में हर समय बनाए रखा जाना चाहिए ताकि नेटवर्क के जरिए प्राकृतिक गैस का दबाव बना रहे और परिवहन और आपूर्ति में कोई बाधा न हो;
- (म) "गुम और बेहिसाब गैस" ("एलयूएजी") का अर्थ प्राकृतिक गैस की उस मात्रा से है जो किसी भी कारण से बेहिसाब है, लेकिन न किसी नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के नियमित प्रचालन या रखरखाव के दौरान बंद करने, निकासी या रिलीज, प्रवेश और निकासी बिंदु पर मीटर रीडिंग के बेमेल होने तक ही सीमित न हों;
- (य) "विक्रेता" का अर्थ प्राकृतिक गैस के लिए विपणन या व्यापार के साथ लेनदेन करने वाली कंपनी से है;
- (र) "अधिकतम दैनिक मात्रा" ("एमडीक्यू") का अर्थ दिन के चौबीस घण्टों में किसी विशिष्ट दिन में सुपुर्दगी या सुपुर्द की गई संविदागत, बुक की गई, अनुसूचित अधिकतम मात्रा से है;

- (ल) "अधिकतम सुपुर्दगी दर" ("एमडीआर") का अर्थ प्रति घंटा एमएमबीटीयू की अधिकतम दर से है, जिस पर प्राधिकृत कंपनी शिपर को पहुंच व्यवस्था में विनिर्दिष्ट अनुसार संगत निकास बिंदु पर प्राकृतिक गैस की सुपुर्दगी करेगी;
- (व) "अधिकतम उठान दर" ("एमओआर") का अर्थ प्रति घंटा एमएमबीटीयू में अधिकतम दर से है, जिस पर शिपर पहुंच व्यवस्था में विनिर्दिष्ट अनुसार संगत निकास बिंदु पर प्राकृतिक गैस लेगा तथा एमओआर का मूल्य एमडीआर के मूल्य के समान होगा;
- (श) "अधिकतम प्राप्ति दर" ("एमआरआर") का अर्थ एमएमबीटीयू प्रति घंटा अधिकतम दर से है, जिस पर अधिकृत कंपनी पहुंच प्रबंधन में विनिर्दिष्ट अनुसार संगत प्रवेश बिंदु पर प्राकृतिक गैस प्राप्त करेगी;
- (ष) "एमएमबीटीयू" का अर्थ मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट से है और यह आईएसओ 6976-1:1983(ई) में परिभाषित तथा समय-समय पर संशोधित अनुसार सकल कैलोरीयुक्त मूल्य पर आधारित ऊर्जा तत्व की इकाई होगी;
- (स) "नेटवर्क टेरिफ" का अर्थ बोर्ड द्वारा निर्धारित और अनुमोदित अनुसार सीजीडी नेटवर्क में प्राकृतिक गैस के ग्राहकों की सभी श्रेणियों के लिए प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल इकाइयों (रूपए/एमएमबीटीयू) में टेरिफ (सांविधिक कर और शुल्क) की इकाई दर से है;
- (ह) "नामित गुणवत्ता" का अर्थ एमएमबीटीयू में प्राकृतिक गैस की गुणवत्ता से है जिसकी शिपर द्वारा किसी विनिर्दिष्ट प्रवेश बिंदु पर सुपुर्दगी के लिए प्राधिकृत कंपनी को पुष्टि की गई थी, जिसमें वितरण या खपत के लिए दैनिक आधार पर संगत निकास बिंदु में उठान का ब्यौरा दिया गया हो:
- बशर्ते कि 0.5 एमएमबीटीयू से कम एमडीक्यू के लिए किसी नामांकन की आवश्यकता न हो;
- (कक) "गैर-विशिष्ट गैस" का अर्थ निकास बिंदु पर किसी प्राधिकृत कंपनी द्वारा प्रवेश बिंदु पर या शिपर द्वारा सुपुर्दगी बिंदु पर दी गई प्राकृतिक गैस से है जो विनियम 7 के उप-विनियम (1) में संदर्भित गैस मापदण्डों के अनुरूप न हो;
- (खख) "प्रचालन दबाव" का अर्थ किसी विशेष प्रवाह से संबंधित दर से है, जिस पर नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के संगत भाग को प्रचालित किया जाता है:

बशर्ते कि किसी भी समय नेटवर्क का प्रचालन दबाव सुरक्षा मानक विनियमों सहित संगत तकनीकी मानकों और विशिष्टियों में विनिर्दिष्ट अनुसार डिजाइन दबाव या अधिकतम अनुमेय प्रचालन दबाव (एमएओपी) से नहीं बढ़ना चाहिए।

- (गग) "अनुसूचित गुणवत्ता" का अर्थ एमएमबीटीयू में प्राकृतिक गैस की मात्रा से है, जो विनिर्दिष्ट प्रवेश बिंदु या निकास बिंदु पर प्राधिकृत कंपनी द्वारा वितरण या नामित क्षमता पर आधारित अपने उपयोग के लिए विशिष्ट शिपर के लिए अनुसूचित है तथा पहुंच व्यवस्था के प्रावधानों के अनुसार है;
- (घघ) "शिपर" का अर्थ उपभोक्ता, विपणनकर्ता या किसी प्राधिकृत कंपनी से है, जो सीजीडी नेटवर्क में क्षमता का उपयोग करना चाहता है:

बशर्ते कि शिपर -

- (i) कंपनी के नेटवर्क में मौजूदा उपभोक्ता हो;
- (ii) सकारात्मक निवल मूल्य वाला एक कारपोरेट निकाय हो और आयकर के लिए मूल्यांकित भौगोलिक क्षेत्र में भौतिक व्यवसाय गठन सहित कम से कम एक वर्ष के लिए व्यवसाय में हो;
- (iii) कंपनी या विक्रेता के साथ पंजीकृत कोई उपभोक्ता हो;
- (iv) व्यवसाय में वास्तविक उपस्थिति वाला कोई नया वाणिज्यिक या औद्योगिक उपभोक्ता हो; या
- (v) कोई कंपनी, जिसकी डीएफआर के साथ कारोबार करने की योजना हो, जिसे बैंक द्वारा वित्तीय रूप से मूल्यांकित और अनुमोदित किया गया हो।

टिप्पणी: यदि मौजूदा शिपर ने प्राधिकृत कंपनी के साथ भुगतान अथवा अन्य किसी संविदागत बाध्यता पर कोई चूक की है, तो शिपर "शिपर" के रूप में योग्य होने से पूर्व प्राधिकृत कंपनी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करेगा;

(ड.ड.) "मानक घन मीटर" ("एससीएम") का अर्थ गैस की उस मात्रा से है जो एक घन मीटर जगह घेरती है, जब ऐसी गैस 15.56 डिग्री सेंटीग्रेड (60° फॉ) के तापमान पर और 1013.25 मिली बॉर (14.696 पसिया) के दबाव पर हो;

(चच) "मानक तापमान और दबाव" ("एसटीपी") का अर्थ 0°सें. पर वायु (273.15के, 32° फॉ.) और 10⁵ पास्कल के रूप में आईयूपीएसी (अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन संघ) द्वारा परिभाषित अनुसार तापमान और दबाव से है।

(छछ) "प्रणाली उपयोग गैस" ("एसयूजी") का अर्थ एमएमबीटीयू में प्राकृतिक गैस की मात्रा से है जिसका प्रयोग नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के प्रचालन और रखरखाव के लिए प्राधिकृत कंपनी के लिए किया जाता है, जिसमें कंप्रेसर, प्राईम मूवर्स, गैस हीटर्स और सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए निकासी या फ्लेयरिंग शामिल है किंतु यह इन तक सीमित नहीं है;

(जज) "माप की इकाई" का अर्थ गैस की मात्रा की माप इकाई से है और यह सभी उपभोक्ताओं के लिए मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट (एमएमबीटीयू) में होगी तथा

सीएनजी निकास बिंदु मात्रा को किलोग्राम में मापा जाएगा लेकिन इसे प्राकृतिक गैस मात्रा के लिए एमएमबीटीयू में परिवर्तित किया जाएगा।

2. प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां जिन्हें इन विनियमों में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन अधिनियम में या नियमों में या उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों में परिभाषित किया गया हो, का अधिनियम में या नियमों में या विनियम, जैसी भी स्थिति हो, में क्रमशः दिए गए अनुसार अर्थ होगा।

3. प्रयोजनीयता

- (1) ये विनियम उस कंपनी पर लागू होंगे जिसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 के अंतर्गत किसी भौगोलिक क्षेत्र में नगर या स्थानीय गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए प्राधिकृत किया गया है जो इसकी विशिष्ट अवधि, यदि कोई हो, के तत्काल बाद होगा, जिसे बोर्ड द्वारा सामान्य वाहक या संविदा वाहक के क्षेत्राधिकार से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए विशिष्टता) विनियम, 2008 के अंतर्गत बोर्ड द्वारा अनुमति दी गई हो, और कोई कंपनी या शिपर, जो घरेलू, वाणिज्यिक या औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए ऐसे नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण पर सीएनजी निकास बिंदु क्षमता पर प्रवेश बिंदु क्षमता, निकास बिंदु क्षमता और सुपुर्दगी तक पहुंच चाहते हैं:

बशर्ते कि -

- (क) प्राधिकृत कंपनी शिपर को किसी भौगोलिक क्षेत्र में नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क का बिना किसी भेदभाव के आधार पर पहुंच की अनुमति देगी, जिसके लिए बोर्ड द्वारा विशिष्ट अवधि, यदि कोई हो, के अंत में विनियम 5 में उल्लिखित सीमा के लिए अनुमति दी गई हो;

- (ख) ढांचे का विकास पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 द्वारा अधिशासित किया जाएगा और शिपर को गैस का परिवहन और सुपुर्दगी प्राधिकृत कंपनी द्वारा की जाएगी -

- (i) जो घरेलू कनेक्शनों के बर्नर से जुड़ी सुरक्षा होज़ तक होगी;
(ii) वाणिज्यिक और औद्योगिक कनेक्शनों के मामले में मीटर बिंदु तक होगी;
(iii) सीएनजी स्टेशन के मामले में कंप्रेसर निकास बिंदु तक होगी।

टिप्पणी: (i) प्राधिकृत कंपनी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और

विशिष्टियों) विनियम, 2008 के अनुरूप हर समय सुरक्षा होज़ तक अपनी संपूर्ण परिसंपत्ति को बनाए रखेगी।

- (ii) मीटर बिंदु का अर्थ उस स्थल से है जहाँ गैस को मापा जाता है, जिसमें निकास बिंदु पर वांछित दबाव तक मीटर यंत्र, उपकरण और दबाव में कमी शामिल होगी।
- (iii) कंप्रेसर निकास बिंदु में फिलिंग नोजल और सीएनजी माप सुविधाएं शामिल होंगी।

आगे बशर्तें कि -

- (क) दूरवर्ती कनेक्शनों के परिवहन का प्रभार पहुंच व्यवस्था में प्राधिकृत कंपनी और शिपर के बीच हुई सहमति के अनुसार तब तक होगा जब तक कि कनेक्शन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए विशिष्टता) विनियम, 2008 के विनियम 9 के अंतर्गत शामिल हो;
- (ख) प्राधिकृत कंपनी शिपर के अनुरोध पर दूरवर्ती कनेक्शन के लिए कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगी बशर्तें कि ऐसा करना प्रौद्योगिकी-सुरक्षा कारणों से संभव हो और इस पर आने वाली लागत प्राधिकृत कंपनी द्वारा वहन की जाएगी या उसे टेरिफ में समायोजित किया जाएगा यदि लागत को शिपर और प्राधिकृत कंपनी के बीच परस्पर सहमति से वहन किया जाता है;
- (क) प्राधिकृत कंपनी प्रौद्योगिकी सुरक्षा कारणों से दूरवर्ती कनेक्शन देने से मना कर सकती है और ऐसे मामलों में प्राधिकृत कंपनी, शिपर और बोर्ड को शिपर से ऐसा अनुरोध प्राप्त होने के तीस दिनों के अंदर कारणों सहित सूचित करेगी।

4. क्षमता की घोषणा

- (1) पहली बार, प्राधिकृत कंपनी अपनी विशिष्ट अवधि के समाप्त होने से पहले अपने नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क की प्रवेश बिंदु क्षमता, निकास बिंदु क्षमता और सीएनजी निकास बिंदु क्षमता की अपने सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं पर 180 दिनों की सुगम पहुंच की घोषणा करेगी तथा इन्हें इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अपनी वेबसाइट पर डालेगी तथा प्राधिकृत कंपनी सीएनजी के लिए डीपीआरएस स्तर पर तथा सीएनजी के लिए मदर स्टेजों (कैस्केड फिलिंग क्षमता) की क्षमता को घोषित कर सकती है या उसे वेबसाइट पर डाल सकती है।

बशर्तें कि -

- (क) सभी प्रवेश बिंदुओं पर संचयी आधार पर खुली पहुंच के लिए किसी सीजीडी नेटवर्क में क्षमता सीजीडी नेटवर्क की क्षमता या सीजीडी नेटवर्क में गैस प्रवाह की मात्रा, जो भी अधिक हो, का बीस प्रतिशत होगी और जब सीजीडी नेटवर्क में ऐसी अतिरिक्त क्षमता

दस प्रतिशत की सीमा तक पहुंच जाए, तो अधिकृत कंपनी इस क्षमता को बढ़ाकर बीस प्रतिशत करेगी। बोर्ड स्वतः आधार पर और सार्वजनिक विचार-विमर्श की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद किसी प्राधिकृत कंपनी को तब तक इनके अनुरूप तथा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार अन्य निबंधन एवं शर्तों पर अतिरिक्त क्षमता का निर्माण करने के लिए कह सकता है।

- (ख) विशिष्ट अवधि के दौरान प्राधिकृत कंपनी के जरिए गैस प्राप्त करने वाले किसी उपभोक्ता या शिपर को विशिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद ऐसी क्षमता को आरक्षित करने का अधिकार होगा तथा यदि शिपर इस क्षमता को छोड़ने का इच्छुक हो, तो शिपर प्राधिकृत कंपनी को इसकी सूचना साठ दिन पहले देगा।
- (2) उत्तरोत्तर क्षमता घोषणा प्रत्येक माह के तीसरे सप्ताह में की जाएगी।
- (3) नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क पर प्रवेश या निकास बिंदुओं के लिए सीजीडी नेटवर्क प्रणाली की क्षमता का संगत विनियमों के अनुसार निर्धारण किया जाएगा।
- (4) प्राधिकृत कंपनी प्रायोगिकी-आर्थिक कारणों से सीजीडी नेटवर्क के किसी मौजूदा प्रवेश या निकास बिंदुओं को जोड़ या त्याग सकती है:

बशर्ते कि नेटवर्क के किसी मौजूदा ग्राहक पर प्राधिकृत कंपनी के निर्णय का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

आगे बशर्ते कि प्राधिकृत कंपनी किसी मौजूदा प्रवेश या निकास बिंदु का त्याग करने के मामले में कम से कम साठ दिनों का नोटिस देगी और शिपरों की टिप्पणियां प्राप्त करेगी।

5. क्षमता बुकिंग

- (1) प्राधिकृत कंपनी सार्वजनिक विचार-विमर्श के लिए अपनी वेबसाइट पर अनुसूची-11 में विनिर्दिष्ट प्रपत्र तथा एक राष्ट्रीय तथा एक देशी समाचार-पत्र में सूचना ज्ञापन प्रकाशित करेगी, जिसमें उनके नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क पर प्रवेश और मौजूदा बिंदु क्षमता के लिए क्षमता बुकिंग मांगी जाएगी जबकि सीजीडी नेटवर्क शिपरों की पहुंच के लिए खुला होता है।
- (2) पहली बार, सार्वजनिक परामर्श सामान्य या संविदा वाहक के कार्यक्षेत्र से प्राधिकृत कंपनी की विशिष्ट अवधि के समाप्त होने से कम से कम 180 दिन पहले शुरू होगा।

- (3) इच्छुक शिपर अनुसूची-III में विनिर्दिष्ट प्रपत्र में क्षमता बुकिंग के लिए सार्वजनिक नोटिस की प्रारंभिक तारीख से नब्बे दिनों के अंदर क्षमता बुकिंग को नामित करने के लिए प्राधिकृत कंपनी को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।
- (4) अनुरोध किए गए प्रवेश बिंदु एमडीक्यू का योग 10000 मानक घन मीटर प्रतिदिन (एससीएमडी) से अधिक या उसके समकक्ष होगा, तथा संगत मौजूदा बिंदु पर संचयी उठान का योग घरेलू क्षेत्र के लिए 100 एससीएमडी से अधिक या बराबर होगा। शिपर किसी घरेलू, औद्योगिक या वाणिज्यिक ग्राहकों में से बुकिंग क्षमता के बाद गैस बिक्री प्रारंभ कर सकता है लेकिन ऐसी दूसरी आपूर्ति पर तभी विचार किया जाएगा जब वे घरेलू उपभोक्तों को 100 एससीएमडी आपूर्तियां प्राप्त कर लेंगे।

बशर्त कि ये इकाइयां पहुंच व्यवस्था में शिपर और प्राधिकृत कंपनी के बीच हुई सहमति के अनुसार अवधि में प्राप्त किया जाएगा।

- (5) क्षमता बुकिंग पर प्रवेश बिंदु एमडीक्यू तथा क्षमता बुकिंग की अवधि के योग के उत्पाद की अधिकता पर आधारित पारदर्शी ढंग से निर्णय लिया जाएगा। प्रत्येक शिपर की अनुसूचित मात्रा घोषित की जाएगी और उसे प्राधिकृत कंपनी द्वारा वेबसाइट पर डाला जाएगा।
- (6) क्षमता बुकिंग पहुंच व्यवस्था के जरिए सभी प्रवेश तथा निकास बिंदुओं पर उप-विनियम 3 तथा संगत निबंधन एवं शर्तों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अनुसार अवधि के समाप्त होने के तीस दिनों के अंतर्गत अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
- (7) प्राधिकृत कंपनी नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क पर प्रवेश बिंदु क्षमता, निकास बिंदु क्षमता और सीएनजी प्रवेश बिंदु क्षमता पर प्रत्येक माह के तीसरे सप्ताह में सतत् आधार पर अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट प्रपत्र में सूचना प्रकाशित करेगी और क्षमता की इस तरह से अनुसूची बनाएगी कि क्षमता का प्रत्येक माह के पहले कार्य दिवस से प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जा सके।
- (8) क्षमता बुकिंग को प्रवेश बिंदु एमडीक्यू तथा निकास बिंदु एमडीक्यू तथा पहुंच व्यवस्था के जरिए अन्य संगत निबंधन एवं शर्तों के अनुसार अंतिम रूप दिया जा सकता है।

6. शिपर और कंपनी की जिम्मेदारियां

- (1) प्राधिकृत कंपनी गैस प्राप्ति से सुपुर्दगी बिंदु तक प्रणाली के लिए लागू सभी विनियमों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगी।
- (2) शिपर प्राधिकृत कंपनी द्वारा गैस प्राप्ति से पूर्व प्रणाली के लिए लागू विनियमों के साथ अनुपालन करने के लिए जिम्मेदार होगा।

- (3) दोनों प्राधिकृत कंपनी और शिपर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर और स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क की सेवा गुणवत्ता के लिए आचार संहिता) विनियम, 2010 का अनुपालन करेंगे।

7. गैस मापदण्ड

- (1) प्राधिकृत कंपनी पहुंच व्यवस्था में दबाव और तापमान की स्वीकार्य श्रृंखला, स्वीकार्य सीवी बैंड और CO_2 N_2 O_2 आदि जैसे प्राकृतिक गैस में अन्य तत्वों के लिए स्वीकार्य समय-सीमा जैसे प्रवेश बिंदुओं पर भेदभाव किए बिना आधार पर गैस मापदण्डों के लिए सीमा को परिभाषित करेगी:

बशर्ते कि ऐसे तत्वों के लिए अनुसूचित सीमा अनुसूची-IV में विनिर्दिष्ट अनुसार होगी। तथापि, यदि सीजीडी नेटवर्क को विशेषकर कोल बेड मिथेन (सीबीएम) गैस, तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) या खुले खनन से कोल खनन मिथेन (सीएमएम) के आधार पर स्थापित किया गया है, जहां गैस विशिष्टियां अनुसूची-IV के अंतर्गत विशिष्ट के अनुरूप नहीं हैं तो बोर्ड से विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। प्राकृतिक गैस के विभिन्न मापदण्डों के लिए अनुसूचित सीमा को पहुंच व्यवस्था में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

- (2) यदि शिपर द्वारा निकास बिंदुओं पर दी गई प्राकृतिक गैस पहुंच व्यवस्था में विनिर्दिष्ट अनुसार गैस मापदण्डों तथा इन विनियमों में विनिर्दिष्ट अनुसार प्राकृतिक गैस की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती तो प्राधिकृत कंपनी -

(क) इसे स्वीकार करने से मना कर सकती है; या

(ख) स्वीकार कर सकती है; और शिपर से सेवा का लागत प्रभार ("गैर-विशिष्ट गैस प्रभार") ले सकती है, जैसी कि पहुंच व्यवस्था में नेटवर्क आवश्यकताओं को प्राकृतिक गैस का उन्नयन करने के लिए कोई अतिरिक्त सुविधा या उपचार के लिए परस्पर सहमति हुई हो:

बशर्ते कि ऐसी गैर-विशिष्ट गैस का मौजूदा ग्राहकों के निकास बिंदुओं पर प्राधिकृत कंपनी द्वारा प्रतिबद्ध गुणवत्ता विशिष्टियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

- (3) प्राधिकृत कंपनी निकास बिंदुओं पर मिश्रित गैस की सुपुर्दगी करेगी और निकास बिंदुओं पर गैस की मात्रा पहुंच व्यवस्था में सहमत स्वीकार्य बैंड के अधीन होगी।
- (4) प्राधिकृत कंपनी किसी प्रयोक्ता को डिलीवरी करने से पूर्व पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड द्वारा अधिसूचित संगत मानकों के प्रावधानों के अनुसार संपूर्ण गैस में गंध भरेगी।

8. प्रवेश और निकास बिंदुओं पर सुविधाएं

- (1) शिपर अपनी लागत पर प्रवेश बिंदुओं पर मीटर द्वारा प्राकृतिक गैस की सुपुर्दगी की व्यवस्था करेगी, जब तक शिपर और प्राधिकृत कंपनी के बीच अन्यथा सहमति न हुई हो।
- (2) प्राधिकृत कंपनी शिपर की लागत पर या पहुंच व्यवस्था में सहमत अनुसार प्रवेश बिंदुओं पर प्राकृतिक गैस की अभिरक्षा और सुपुर्दगी के अंतरण हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराएगी जिसमें प्राधिकृत कंपनी और शिपर के बीच हुई सहमति के अनुसार उपकरण या अन्य कोई प्रणाली मापना शामिल है:

बशर्ते कि प्राधिकृत कंपनी यदि चाहे तो अपनी लागत से प्रवेश बिंदुओं पर अपना जांच मीटर स्थापित कर सकती है।

- (3) शिपर यह सुनिश्चित करेगा कि प्राधिकृत कंपनी की उसके परिसर में स्थापित माप उपकरण तक सुगम पहुंच हो।
- (4) शिपर या नगर गेट स्टेशन का ट्रांसपोर्टर अपस्ट्रीम तब तक अपनी लागत और जोखिम पर प्रवेश बिंदुओं की अपस्ट्रीम सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, प्रचालन और रखरखाव करेगा, जब तक कि सुविधाओं को किसी पृथक संविदा के अंतर्गत प्राधिकृत कंपनी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाता।
- (5) शिपर के कार्यक्षेत्र के अंदर माप बिंदुओं से प्राधिकृत कंपनी को कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी और लागत को उसके द्वारा वहन किया जाएगा जिसे इसकी आवश्यकता है।
- (6) प्राधिकृत कंपनी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी जिसमें माप उपकरण, दबाव कमी और नियंत्रण सुविधाएं, गन्ध सुविधा, गैस क्रोमेटोग्राफी या अन्य कोई प्रणाली, जैसा कि प्राधिकृत कंपनी और शिपर के बीच सहमति हुई हो, जो प्राधिकृत कंपनी की लागत पर निकासी बिंदुओं में शिपर को प्राकृतिक गैस की सुपुर्दगी के लिए अपेक्षित होगा, जिसमें औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ता शामिल नहीं हैं, जहां लागत को पहुंच व्यवस्था में हुई सहमति अनुसार शिपर द्वारा वहन किया जाएगा। सभी घरेलू ग्राहकों को उपयुक्त मीटरों से जोड़ा जाएगा।
- (7) शिपर यह सुनिश्चित करेगा कि प्राधिकृत कंपनी को उस संगत निकास बिंदुओं पर माप उपकरण या अन्य किसी प्रणाली, जैसा कि प्राधिकृत कंपनी और शिपर के बीच सहमति हुई हो, तक आसान पहुंच हो।
- (8) किसी भी समय यदि कंपनी अपने उपभोक्ताओं और शिपरों के मीटरों को उन्नत बनाना चाहती है, तो वह ऐसा बिना किसी भेदभाव के कर सकती है। यदि शिपर अपने

उपभोक्ताओं के मीटरों को उन्नत बनाना चाहते हैं, तो वे ऐसा कर सकते हैं और उन्नयन की लागत शिपरों द्वारा वहन की जाएगी।

- (9) प्रवेश तथा निकास बिंदुओं पर सुविधाओं का रखरखाव पहुंच व्यवस्था में हुई सहमति के अनुसार किया जाएगा।

9. नामांकन, अनुसूची बनाना, मीटर लगाना, आबंटन और बिलिंग

- (1) नामांकन, अनुसूची बनाना, मीटर लगाना, आबंटन और बिलिंग प्रक्रिया पहुंच व्यवस्था में विनिर्दिष्ट की जाएगी और -

(क) शिपर बाद के किसी दिन और सप्ताह में मात्रा का नामांकन करेगा तथा संबंधित दिन से शुरू होने से चौबीस घंटे पहले प्राधिकृत कंपनी को सूचित करेगा। प्रवेश और निकास बिंदुओं के लिए नामांकन और अनुसूची बनाने का कार्य प्रणाली प्रचालन उद्देश्य के लिए उत्कृष्ट प्रयासों के आधार पर बाद के किसी दिन को घंटावार किया जाएगा;

(ख) शिपर पहुंच व्यवस्था में विनिर्दिष्ट समय के अंतर्गत प्राधिकृत कंपनी को पुनः नामांकन प्रस्तुत करेगा।

- (2) यदि शिपर के पास प्रवेश और निकास बिंदुओं के लिए समर्पित मीटर नहीं है तो शिपर को प्राकृतिक गैस मात्रा, अनुसूचित मात्राओं के आधार पर सुपर्दगी की मात्रा यथानुपात के आधार पर आबंटित की जाएगी।

- (3) प्राधिकृत कंपनी गैस क्रोमेटोग्राफ द्वारा गैस की गुणवत्ता को नियमित रूप से मापेगा, जब तक कि अन्यथा पहुंच व्यवस्था में प्राधिकृत कंपनी और शिपर के बीच सहमति न हुई हो।

- (4) माप उपकरण की संपूर्ण त्रुटि सीमा और सटीकता प्राधिकृत कंपनी और शिपर के बीच सहमति के अनुसार होगी बशर्ते कि बोर्ड द्वारा विनियमों के जरिए कोई अनिवार्य विशिष्टियां, यदि कोई हों, निर्धारित न की गई हों।

- (5) प्राधिकृत कंपनी संगत संहिताओं और मानकों के अनुसार माप उपकरण का सत्यापन, अंशशोधन या जांच कराएगी।

10. गैस लेखांकन और समायोजन

- (1) गैस लेखांकन एमएमबीटीयू में ऊर्जा अनुसार दैनिक आधार पर किया जाएगा और यह आईएसओ 6976-1:1983(ड.) में परिभाषित अनुसार और समय-समय पर संशोधित या सुधार किए गए अनुसार कुल कैलोरीयुक्त मूल्य पर आधारित होगा:

बशर्ते कि -

- (क) संगत प्रवेश बिंदुओं पर दी गई दैनिक गैस को प्राधिकृत कंपनी और शिपर के बीच सहमति के अनुसार प्रणाली के जरिए सीधे मापा जाएगा;
 - (ख) औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के लिए संगत निकास बिंदुओं पर दैनिक उठान को प्राधिकृत कंपनी और शिपर के बीच हुई सहमति अनुसार प्रणाली के जरिए मापा जाएगा;
 - (ग) घरेलू ग्राहकों के लिए लेखांकन का दैनिक उठान संगत घरेलू ग्राहकों द्वारा गैस की औसत खपत पर आधारित होगा तथा समायोजन पहुंच व्यवस्था में सहमत पद्धति के अनुसार प्रत्येक बिलिंग चक्र के समाप्त होने के सात दिनों के अंदर किया जाएगा;
 - (घ) सीएनजी के लिए गैस का दैनिक उठान ऑनलाइन कंप्रेसर के बिक्री केन्द्र पर लगे मीटर से किलोग्राम (कि.ग्रा.) में मापा जाएगा तथा यदि किसी सीएनजी स्टेशन में गैस गुणवत्ता माप उपलब्ध न हो तो इसे किसी संगत दिन को नेटवर्क में गैस के औसत गुणवत्ता मापदण्डों के आधार पर गैस का हिसाब लगाने के लिए एमएमबीटीयू में परिवर्तित करके सीजीएस में मापा जाएगा। इस उद्देश्य के लिए प्राधिकृत कंपनी को एक सदृश्य जोन में परिभाषित करना होगा तथा इसकी सूचना शिपर को देनी होगी।
- (2) विस्तृत माप और गैस लेखांकन प्रक्रिया पहुंच व्यवस्था में विनिर्दिष्ट की जाएगी।

11. प्रभार

- (1) शिपर प्राधिकृत कंपनी को उसके द्वारा सृजित बीजक में विनिर्दिष्ट अनुसार अपने नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क का इस्तेमाल करने के लिए निम्नलिखित प्रभार का भुगतान करेगा, अर्थात्:-
- (क) नेटवर्क टैरिफ जिसमें सीजीडी नेटवर्क में गैस परिवहन, गंधयुक्त बनाना, गैस का मीटर लगाना, गैस पुनः समायोजित करना तथा गैस का उपयोग करने वाली प्राप्ति शामिल है;
 - (ख) कंप्रेशन प्रभार;
 - (ग) अधिक प्रभार लेना, यदि लागू हो;
 - (घ) प्रणाली असंतुलन प्रभार, यदि लागू हो;
 - (ङ) पहुंच व्यवस्था में हुई सहमति अनुसार गैर-विशिष्ट गैस प्रभार;
 - (च) लागू कर;
 - (छ) पहुंच व्यवस्था में हुई परस्पर सहमति अनुसार अन्य कोई प्रभार जैसे-

- (i) शिप या भुगतान;
- (ii) परिवहन या भुगतान;
- (iii) प्रणाली का तकनीकी उन्नयन;
- (iv) आर एण्ड डी;
- (v) बोर्ड के अनुमोदन से अन्य कोई प्रभार।

12. नेटवर्क टेरिफ और कंप्रेशन प्रभार

- (1) प्रत्येक दिन के लिए नेटवर्क टेरिफ प्रभार, नेटवर्क टेरिफ के उत्पादन के बराबर होगा और संगत निकास बिंदुओं का योग सुपुर्दगी मात्रा होगा:

बशर्ते कि इस मात्रा पर पहुंच संहिता में निहित प्रावधानों के अनुसार अन्य कोई प्रभार नहीं लगेगा;

आगे बशर्ते कि शिपर की सुपुर्दगी या भुगतान प्रावधान को 0.5 एमएमबीटीयू दैनिक क्षमता से अधिक के उपभोक्ता के लिए शिपर और प्राधिकृत कंपनी के बीच संविदागत व्यवस्था के अनुसार लागू किया जाएगा।

- (2) प्रत्येक दिन के लिए कंप्रेशन प्रभार का उत्पाद तथा संगत सीएनजी निकास बिंदुओं के सुपुर्दगी मात्रा के योग के बराबर होनी चाहिए:

बशर्ते कि इस मात्रा में पहुंच संहिता में निहित प्रावधानों के अनुसार अन्य कोई प्रभार नहीं लिया जाएगा।

आगे बशर्ते कि शिपर की सुपुर्दगी या भुगतान प्रावधान 0.5 एमएमबीटीयू दैनिक से अधिक क्षमताओं वाले उपभोक्ताओं के लिए शिपर और प्राधिकृत कंपनी के बीच संविदागत प्रावधान के अनुसार होगा।

13. प्राधिकृत कंपनी का कमी प्रभार

- (1) प्राधिकृत कंपनी अनुसूचित मात्रा तक क्षमता उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होगी जब तक कि विनियम 19 में अनुसूचित अनुसार नियोजित रखरखाव न हो या विनियम 20 में निर्धारित अनुसार प्रतिकूल परिस्थितियां न हों या विनियम 21 में विनिर्दिष्ट अनुसार कोई आपात स्थिति न हो।

- (2) प्राधिकृत कंपनी पहुंच व्यवस्था में हुई सहमति अनुसार शिपर को प्रभारों का भुगतान करेगी, यदि प्राधिकृत कंपनी अनुसूचित मात्रा तक क्षमता उपलब्ध कराने में असमर्थ हो, जब तक कि विनियम 19 में अनुसूचित अनुसार नियोजित रखरखाव न हो या विनियम 20 में निर्धारित अनुसार प्रतिकूल परिस्थितियां न हों या विनियम 21 में विनिर्दिष्ट अनुसार आपात स्थिति न हो।

14. अधिक प्रभार लगना:

- (1) शिपर द्वारा एक दिन में एमएमबीटीयू में प्रत्येक प्रवेश बिंदु पर अधिक मात्रा की गणना करने की पद्धति को बिना किसी भेदभाव के पहुंच व्यवस्था में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।
- (2) शिपर को अनुसूचित मात्रा के 5% तक अधिक मात्रा लेने पर कोई अधिभार नहीं देना होगा। अनुसूचित मात्रा के 5% से अधिक मात्रा पर अधिभार देना होगा।
- (3) अनुसूचित मात्रा के 5% से अधिक की मात्रा के लिए अधिभार तर्कसंगत, पारदर्शी और बिना भेदभाव वाला होना चाहिए तथा इसे पहुंच व्यवस्था में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।
- (4) एक दिन में किसी विशेष प्रवेश बिंदु के लिए शिपर द्वारा दिया जाने वाला भुगतान अधिभार इस विनियम के उप-विनियम (1) में निर्धारित अनुसार गणना की गई अधिक मात्रा के उत्पाद के बराबर होगा तथा पहुंच व्यवस्था में अधिभार दर बिना भेदभाव आधार पर विनिर्दिष्ट अनुसार होगी।
- (5) एक दिन में शिपर द्वारा दिया जाने वाला अधिभार उस दिन प्रत्येक प्रवेश बिंदु के संबंध में देय अधिभार के योग के बराबर होगा।

15. प्रणाली असंतुलन प्रभार

- (1) एक दिन में एमएमबीटीयू में सकारात्मक असंतुलन मात्रा निकासी बिंदुओं पर उठाई गई शिपर की मात्राओं के योग की तुलना में प्रवेश बिंदुओं पर सुपुर्दगी की गई शिपर की मात्राओं के योग से अधिक होगी।
- (2) एक दिन में एमएमबीटीयू में नकारात्मक असंतुलन मात्रा प्रवेश बिंदुओं पर शिपर की सुपुर्दगी मात्रा के योग की तुलना में निकासी बिंदुओं पर उठाई गई शिपर की मात्रा के योग से अधिक होगी।
- (3) दिन के शुरू में संचयी असंतुलन पिछले दिन की समाप्ति पर संचयी असंतुलन के बराबर होगी। पहले दिन के शुरू में जब शिपर द्वारा प्राकृतिक गैस की सुपुर्दगी की जाती है, तो संचयी असंतुलन शून्य होगा।
- (4) दिन की समाप्ति पर संचयी असंतुलन, दिन के शुरू होने पर संचयी असंतुलन और पूरे दिन के असंतुलन के योग के बराबर होना चाहिए।
- (5) शिपर को 5% संचयी सकारात्मक असंतुलन और संगत प्रवेश बिंदु एमडीक्यू के योग के 3% संचयी नकारात्मक असंतुलन तक किसी असंतुलन प्रभार का भुगतान नहीं करना होगा। प्राधिकृत कंपनी दैनिक आधार पर शिपर की असंतुलन मात्रा को अधिसूचित करेगा ताकि शिपर को बाद की अवधि के लिए नामित मात्रा प्रस्तुत करते समय असंतुलन में

सुधार करने का अवसर मिल सके। यदि शिपर पंद्रह दिनों की अवधि में ऐसे असंतुलनों को दुरुस्त नहीं कर पाता है, तो प्राधिकृत कंपनी को ऐसा असंतुलन ठीक करने के लिए प्रवेश तथा निकास बिंदुओं पर रोजाना नामांकन ठीक करने का अधिकार होगा ताकि नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क की सुरक्षा और अखण्डता सुनिश्चित की जा सके। इन सीमाओं के अतिरिक्त संचयी सकारात्मक असंतुलन और संचयी नकारात्मक असंतुलन की असंतुलित दरें तर्कसंगत, पारदर्शी और बिना किसी भेदभाव के होनी चाहिए।

- (6) शिपर द्वारा किसी विशेष दिन दिया जाने वाला असंतुलन प्रभार इस विनियम के उप-विनियम 4 में निर्धारित अनुसार गणना की गई संचयी असंतुलन मात्रा के उत्पाद तथा पहुंच प्रबंधन में विनिर्दिष्ट असंतुलन दरों के बराबर होना चाहिए।
 - (7) दैनिक असंतुलन गैस मात्राओं को शिपर और प्राधिकृत कंपनी के बीच प्रत्येक पंद्रह दिन बाद औद्योगिक, वाणिज्यिक और सीएनजी खण्ड के लिए वास्तविक दैनिक मीटर के अनुसार राशि पर विचार करते हुए तथा घरेलू खण्ड के लिए गैस की परस्पर सहमत दैनिक खपत को ध्यान में रखते हुए निपटान की पद्धति को पहुंच व्यवस्था में विनिर्दिष्ट किया जाएगा। घरेलू खपत के लिए वास्तविक मीटर मात्रा के साथ समायोजन शिपर और प्राधिकृत कंपनी के बीच पहुंच व्यवस्था में हुई सहमति अनुसार होगा।
 - (8) प्राधिकृत कंपनी द्वारा एक निलंब खाता (एसक्रो खाता) खोला जाना चाहिए जिसमें इन विनियमों के अंतर्गत असंतुलन और अधिक समय लगने के कारण प्राधिकृत कंपनी द्वारा प्राप्त सभी प्रभारों को जमा किया जाएगा तथा प्राधिकृत कंपनी निलंब खाते से आपूर्ति या भुगतान करने तथा नकारात्मक असंतुलन के मामले में कंप्रेस गैस के लिए अतिरिक्त प्रयास करने और शिपर द्वारा किए गए ऐसे असंतुलन के कारण सीजीडी नेटवर्क के प्रबंधन के संदर्भ में अपनी संविदागत बाध्यता के लिए भुगतान से निकासी करने की पात्र होगी।
 - (9) प्राधिकृत कंपनी बोर्ड को वार्षिक आधार पर उप-विनियम 8 में उल्लिखित निलंब खाते को लेखा-परीक्षित विवरण प्रस्तुत करेगा।
 - (10) उप विनियम (8) के अंतर्गत प्राधिकृत कंपनी द्वारा पात्र निकासी के बाद निलंब खाते में उपलब्ध शेष राशि का इस ढंग से और ऐसे उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जैसा कि बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो।
16. घंटेवार सुपूर्दगी, उठान तथा प्राप्ति दरें
- (1) एमडीआर, एमओआर तथा एमआरआर के साथ-साथ घंटेवार अनुपूचित दरों से प्राधिकृत विचलन, जिसके लिए शिपर को कोई प्रभार नहीं देना पड़ता, को पहुंच व्यवस्था में

विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए ताकि नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क की सुरक्षा और अखण्डता सुनिश्चित हो सके।

- (2) घंटेवार सुपुर्दगी और उठान दरें जो इन सीमाओं को बढ़ाती हैं, की पहुंच व्यवस्था में विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए:

बशर्ते कि शिपर को घंटेवार सुपुर्दगी और उठान दरें जो नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क में प्रवेश और निकास बिंदुओं की क्षमता तक उनकी पहुंच के पहले साठ दिनों की पहुंच व्यवस्था में विनिर्दिष्ट सीमाओं से बढ़ जाती है, के विचलन के लिए किसी प्रभार का भुगतान नहीं करना होगा यदि शिपर ने विनियम 5 के अंतर्गत क्षमता बुक की है।

17. प्रणाली प्रयोग गैस (एसयूजी), गुम और लापता गैस (एलयूएजी)

प्राधिकृत कंपनी एसयूजी और एलयूएजी, यदि कोई हो, का आत्मसात करने और किसी शिपर की इस खाते में देनदारी प्राप्त नहीं करेगा।

बशर्ते कि प्राधिकृत कंपनी अन्य किसी स्रोत से इस प्राकृतिक गैस की व्यवस्था करने के लिए स्वतंत्र होगी।

18. लाइन पैक (एलपी)

प्राधिकृत कंपनी हर समय एलपी गैस के लिए व्यवस्था करेगी तथा शिपर से कोई प्रभार नहीं लिया जाएगा। टैरिफ निर्धारण करने के उद्देश्य से यह मूल फिलिंग मूल्य पर गैर-मूल्य हास कैपेक्स बनाएगा।

19. नियोजित रखरखाव

- (1) प्राधिकृत कंपनी शिपर को पहुंच व्यवस्था में हुई सहमति के अनुसार समय रहते एक निश्चित अवधि के लिए अपनी रखरखाव योजना के बिना भेदभाव के आधार पर ऐसे प्रवेश और निकास बिंदुओं का पता लगाने, जहां प्राकृतिक गैस प्रवाह को रखरखाव कार्य तक सीमित किया जाए, प्रतिबंधों की सीमा तथा उनके घटने के समय को सूचना देनी होगी। प्राधिकृत कंपनी ऐसे रखरखाव की योजना बनाएगी ताकि प्रभावित पार्टियों को पहुंचने वाली बाधा को न्यूनतम किया जा सके।

- (2) घरेलू खण्ड को छोड़कर सभी खण्डों में किसी ग्राहक के लिए नियोजित रखरखाव शटडाउन अवधि एक वर्ष में दस दिनों से अधिक नहीं होगी। घरेलू ग्राहकों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 में विनिर्दिष्ट सेवा बाध्यताएं तथा अन्य संगत विनियम लागू होंगे।

20. प्राकृतिक आपदा

- (1) प्रभावित पार्टियाँ प्राकृतिक आपदा उत्पन्न होने पर -
- (क) जैसे ही उपयुक्त रूप से व्यावहारिक हो, प्राकृतिक आपदा और उसकी प्रकृति की अनुमानित अवधि को प्रत्येक दूसरी पार्टी द्वारा सूचित करने पर उसकी संभावित अवधि तथा प्रभावित पार्टी के निष्पादन की बाध्यता का, जहाँ तक हो सके, उपयुक्त रूप से आकलन किया जाए।
- (ख) इसके बाद प्रत्येक अन्य पार्टी को निम्नलिखित का उपयुक्त ब्यौरा समय-समय पर उपलब्ध कराया जाए, नामतः:
- (i) इस विनियम के उप-विनियम (क) के अंतर्गत अधिसूचित मामलों में विकास;
- (ii) प्रभावित पार्टी द्वारा प्राकृतिक आपदा के घटने या इसके प्रभावों और इसकी संगत बाध्यताओं के निष्पादन को बहाल करने से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदम।
- (2) प्राधिकृत कंपनी और शिपर को प्रतिकूल परिस्थिति के कारण और उसके दौरान उत्पन्न होने वाली उनकी संबंधित बाध्यताओं से मुक्त किया जाना चाहिए।

21. प्रचालन प्रक्रियाएं और आपात स्थिति

- (1) प्राधिकृत कंपनी और शिपर द्वारा नियमित प्रचालनों और आपात स्थिति के दौरान अपनाई जाने वाली प्रचालन प्रणालि को पहुंच व्यवस्था में शामिल किया जाएगा।
- (2) आपात स्थिति से निम्नलिखित हो सकता है -
- (क) गैस के रिसाव या संभावित रिसाव द्वारा; या
- (ख) निम्नलिखित परिस्थितियों में नामतः:
- (i) नेटवर्क की सुरक्षा को खतरा हो;
- (ii) नेटवर्क के जरिए गैस के सुरक्षित परिवहन को खतरा हो;
- (iii) नेटवर्क द्वारा ग्राहक के परिसर में दी जाने वाली गैस का दबाव इतना अधिक हो या उसकी गुणवत्ता ऐसी हो कि जान या माल के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता हो; या

(iv) अन्य कोई परिस्थितियां जिसे प्राधिकृत कंपनी द्वारा आपात स्थिति लगाने के लिए उपयुक्त माना जाए (जिसमें किसी संदेह से बचने के लिए किसी प्रवेश बिंदु की अपस्ट्रीम परिस्थितियां शामिल हों), और जहां संदर्भ में अपेक्षित हो, आपात स्थिति के संदर्भ में ऐसी घटना या परिस्थिति शामिल हो सकती है जिससे ऐसी आपात स्थिति उत्पन्न हो सकती हो।

(3) प्राधिकृत कंपनी किसी आपात स्थिति के बाद, जहां तक उपयुक्त रूप से संभव हो, नेटवर्क के सामान्य प्रचालन को बहाल करने तथा नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क में आपात स्थिति या बाधाओं या रुकावटों के मामले में विभिन्न ग्राहक खण्डों को सेवाएं बहाल करने के लिए कदम उठाएगा, जो प्राथमिकता के निम्नलिखित क्रम में होंगे, नामतः:

- (क) घरेलू पीएनजी ग्राहक;
- (ख) अनिवार्य सेवाएं (अस्पताल, क्लिनिक, दुग्ध आपूर्ति, आदि);
- (ग) सीएनजी ग्राहक;
- (घ) अन्य

22. सूचना की गोपनीयता

(1) किसी कंपनी द्वारा प्राधिकृत कंपनी, शिपर या अन्य किसी पार्टी को इन विनियमों के संबंध में या आवश्यकताओं के परिणामस्वरूप सभी दस्तावेज, सूचना, आंकड़े, प्रस्तुतियां और टिप्पणियां लिखित में या अन्यथा बताई गई हों या दी गई हों, को गोपनीय माना और समझा जाएगा तथा विषय-वस्तु और उसकी प्रतियों सहित सभी दस्तावेज, सूचना, आंकड़े प्रस्तुतियों और टिप्पणियों को किसी न्यायालय में किसी कार्यवाहियों के संदर्भ को छोड़कर किसी भी रूप में पूर्ण या आंशिक रूप से उद्धाटित नहीं किया जाएगा।

23. विविध

- (1) बोर्ड को इन विनियमों के संबंध में स्पष्टीकरण जारी करने का अधिकार होगा तथा कोई विवाद उत्पन्न होने पर बोर्ड द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- (2) यदि इन विनियमों के किसी प्रावधान की व्याख्या के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

अनुसूची-I

[[देखें विनियम 2 (1)(i)]]

ऊर्जा मूल्य में सीएनजी की मात्रा को परिवर्तित करने का परिवर्तन सूत्र

$$\text{प्राकृतिक गैस (एमएमबीटीयू)} = \text{सीएनजी की मात्रा (कि.ग्रा.)} \times \text{GCV} \times \frac{3.96828 \times 10^{-6}}{\rho}$$

जहां

1. ρ = (कि.ग्रा./SM³) पर प्राकृतिक गैस का घनत्व
2. STP = मानक तापमान और दबाव - आईयूपीएसी द्वारा परिभाषित अनुसार (अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन संघ) जहां वायु 0°C(273.15के, 32°F) और 10⁵ पास्कल पर हो।
 $(1 Pa = 10^{-6} N/mm^2 = 10^{-5} bar = 0.1020 kp/m^2 = 1.02 \times 10^{-4} m H_2O = 9.869 \times 10^{-6} atm = 1.45 \times 10^{-4} psi (lbf/in^2))$
2. जीसीवी = सकल कैलोरीयुक्त मूल्य (Kcal/Sm³)
3. जीसीवी और ρ सजातीय क्षेत्र से होंगे जिन्हें प्राधिकृत कंपनी अपफ्रंट द्वारा समय-समय पर परिभाषित किया जाएगा।

अनुसूची-II

[[देखें विनियम 5(1) और 5(7)]]

नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क में क्षमता बुकिंग के लिए सार्वजनिक परामर्श हेतु प्रपत्र

1. कंपनी का नाम:
2. नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क का नाम:
3. प्रवेश बिंदु और प्रवेश बिंदु क्षमता का नाम:
(विनिर्दिष्ट जीसीवी पर एमएमबीटीयू में)
4. प्रत्येक बिंदु पर प्रवेश बिंदु, निकास बिंदु, निकास बिंदु क्षमता (विनिर्दिष्ट जीसीवी पर एमएमबीटीयू में) का नाम तथा प्रत्येक बिंदु पर सीएनजी निकास बिंदु क्षमता (कि.ग्रा.) में:
5. प्रवेश बिंदुओं पर अपेक्षित गैस मापदण्ड:
(क) दबाव और तापमान की स्वीकार्य श्रृंखला:
(ख) सीवी बिंदु की स्वीकार्य श्रृंखला:
(ग) CO₂, N₂, O₂ आदि जैसी प्राकृतिक गैस में अन्य तत्वों के लिए स्वीकार्य सीमाएं।

अनुसूची-III

(देखें विनियम 5(3))

नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क में क्षमता के लिए अनुरोध करने का प्रपत्र

1. कंपनी का नाम :
2. नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क का नाम :
3. प्रत्येक बिंदु पर प्रवेश बिंदुओं और प्रवेश बिंदु क्षमता आवश्यकता (एमएमबीटीयू में) का नाम:
4. प्रत्येक बिंदु पर निकास बिंदुओं, निकास बिंदु क्षमता आवश्यकता (एमएमबीटीयू में) का नाम तथा प्रत्येक बिंदु में सीएनजी निकास बिंदु क्षमता आवश्यकता (कि.ग्रा. में) :
5. प्रत्येक बिंदु पर गैस मापदण्ड (प्रत्येक प्रवेश बिंदु के लिए अलग से विनिर्दिष्ट किया जाएगा):

(क) दबाव और तापमान की श्रृंखला

(ख) सीवी बैंड की स्वीकार्य श्रृंखला

(ग) CO_2 , N_2 , O_2 आदि जैसी प्राकृतिक गैस में अन्य तत्वों की अनुमानित सीमा।

6. निकास बिंदुओं पर अपेक्षित गैस मापदण्ड (प्रत्येक निकास बिंदु के लिए अलग से विनिर्दिष्ट किया जाए):

(क) दबाव और तापमान की स्वीकार्य श्रृंखला

(ख) सीवी बैंड की स्वीकार्य श्रृंखला

(ग) CO_2 , N_2 , O_2 आदि जैसी प्राकृतिक गैस में अन्य तत्वों के लिए स्वीकार्य सीमाएं

7. प्रारंभिक तारीख और अवधि (दिनों की संख्या), जिसके लिए क्षमता तक पहुंच अपेक्षित है:

अनुसूची-IV

[(देखें विनियम 7 (1))]

नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क पर गैस मापदण्ड के लिए सीमा

मापदण्ड	सीमा
हाइड्रोकार्बन ओसांक (डिग्री सेल्सियस, अधिकतम)	0
जल ओसांक (डिग्री सेल्सियस, अधिकतम)	0
हाइड्रोजन सल्फाइड (अधिकतम भाग द्वारा पीपीएम)	5
कुल सल्फर (अधिकतम भाग द्वारा पीपीएम)	10
कार्बन डाइऑक्साइड (अधिकतम मोल %)	6
कुल निष्क्रियता (मोल %)	8
तापमान (डिग्री सेल्सियस, अधिकतम)	55
तापमान (डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम)	10-20
ऑक्सीजन (% मोल मात्रा अधिकतम)	0.2
वोल्बे सूचकांक (घरेलू उपभोक्ताओं के लिए)	39-53*

टिप्पणी: * एमजे/एससीएम पर आधारित

रतन पी. वातल, सचिव

[विज्ञापन III/4/188/10-असा.]

**PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD
NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th March, 2011

F. No. S-Admn./II/8/2010.—In exercise of the powers conferred by Section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, namely :—

1. Short title and commencement.

- (1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Access Code for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2011.
- (2) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.

(1) In these regulations, unless the context otherwise requires,—

- (a) **“access arrangement”** means a contract between the authorised entity and the shipper defining the terms and conditions for access to entry point capacity, exit point capacity and CNG exit point capacity on the city or local natural gas distribution network and placed on the website of authorised entity:

Provided that access arrangement shall be based on access arrangement guidelines issued by the Board:

Provided further that the capacity webhosted shall be the available capacity;

- (b) **“Act”** means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006;

- (c) **“allocated capacity”** means the scheduled maximum daily capacity in MMBTU at entry point agreed between the authorised

entity and the shipper for delivery at exit point;

- (d) **“appointed day”** means the date of October 1, 2007 when the Central Government notified the establishment of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board;
- (e) **“authorised entity”** means an entity that is authorised to lay, build, operate or expand a city or local natural gas distribution network in a geographical area under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 and the relevant regulations made thereunder;
- (f) **“Board”** means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board established under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006;
- (g) **“CNG exit point”** means the point at which the CNG is off taken from a CNG compressor outlet point for delivery to the shipper with proper arrangement for metering at outlet of the CNG compressor by the authorised entity:

Provided that the CNG exit point shall terminate at tubing connection or union where compressor exit is connected to dispenser and at filling nozzle in case it is connected to CNG cascade of the shipper;

- (h) **“CNG exit point capacity”** means the maximum quantity of CNG, measured in kilograms (Kgs), which the authorised entity shall deliver to the shipper at the relevant CNG exit point in a day:

Provided that the CNG mass shall be converted into energy value by applying the conversion formula as specified in Schedule-I:

Provided further that a homogenous zone has to be defined by the authorised entity upfront from time to time and the same has to be informed to the shipper;

- (i) **“CNG exit point maximum daily quantity” (“CNG exit point MDQ”)** means the maximum quantity of natural gas, measured in kilogram (kgs), which can be off-taken by the shipper at the relevant CNG exit point in a day;
- (j) **“compression charge for CNG”** means a charge (excluding statutory taxes and levies) in Rs./Kg for online compression of natural gas into compressed natural gas for subsequent dispensing

to customers in a CNG station, as determined and approved by the Board;

- (k) "**day**" means a period of twenty-four consecutive hours beginning at 0600 hours on a day and ending before the start of 0600 hours on the following day;
- (l) "**designated exit point**" means the exit point for which gas delivery has been mutually agreed between the shipper and the authorised entity;
- (m) "**delivered quantity**" means the quantity of gas in MMBTU delivered by the authorised entity at designated exit point of the shipper;
- (n) "**dispute**" means any dispute or difference arising between the entity under or in connection with these regulations or the access arrangement;
- (o) "**distant connection**" means a connection to a shipper desirous of having a connectivity in any charge area of the geographic area beyond the provisions of regulation 9 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Exclusivity for City or Local Natural Gas Distribution Network) Regulations, 2008;
- (p) "**entry point**" means the point at which the natural gas delivered by a shipper is injected into the city or local natural gas distribution network and the gas receipt for city or local natural gas distribution network should preferably be at the city gate station:

Provided that receipt at any other point on network shall be as mutually agreed between the authorised entity and the shipper in the access arrangement:

Provided further that the gas required for a new geographical area or for expansion of existing CGD networks shall preferably be from transmission or sub transmission pipeline and not from the existing geographical area;

- (q) "**entry point capacity**" means the maximum quantity of natural gas in MMBTU, at a specified Gross Calorific Value, which the authorised entity shall receive from shipper at the relevant entry point in a day so as to deliver at designated exit point;
- (r) "**entry point maximum daily quantity**" ("**entry point MDQ**") means

the maximum quantity of natural gas in MMBTU, at a specified gross calorific value for which capacity has been allocated to the shipper and the authorised entity shall receive from the shipper at the relevant entry point in a day as agreed in the access arrangement;

- (s) "**exclusivity period**" means the period allowed by the Board under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Exclusivity for City or Local Natural Gas Distribution Network) Regulations, 2008 from the purview of common carrier or contract carrier;
- (t) "**exit point**" means the point at which the natural gas is off taken from city or local natural gas distribution network by the shipper as agreed between the authorised entity and the shipper in the access arrangement and such exit point shall be at all the metering stations, CNG exit point and all such other points mutually agreed between the shipper and authorised entity in the access arrangement:

Provided that-

- (i) for domestic piped natural gas (PNG), the exit point shall be the concerned DPRS. This point shall be considered for aggregating the offtake for domestic use of gas;
- (ii) any new exit point shall be decided mutually on technical and safety ground.
- (u) "**exit point capacity**" means the maximum quantity of natural gas in MMBTU, at a specified Gross Calorific Value, which the authorised entity shall deliver to the shipper at the relevant exit point in a day;
- (v) "**exit point maximum daily quantity**" ("**exit point MDQ**") means the maximum quantity of natural gas in MMBTU, at a specified Gross Calorific Value, which can be off taken by the shipper at specific metering station and CNG exit point in a day;
- (w) "**imbalance quantity**" on a day means the positive imbalance quantity or the negative imbalance quantity on that day as specified in regulation 15;
- (x) "**line pack**" ("**LP**") means the volume of gas that must be maintained in the city or local natural gas distribution network at all times in order to maintain pressure and enable uninterrupted transportation and supply of natural gas through the network;

- (y) **"lost and unaccounted for gas" ("LUAG")** means the quantity of natural gas which is unaccounted for whatsoever reason including, but not limited to blow downs, venting or release during regular operation or maintenance of the city or local natural gas distribution network and mismatch of meter readings at the entry and exit point;
- (z) **"marketer"** means an entity dealing with marketing or trading for natural gas;
- (za) **"maximum daily quantity" ("MDQ")** means the maximum volume of natural gas contracted, booked, scheduled for delivery or delivered in a particular day within twenty four hours of the day;
- (zb) **"maximum delivery rate" ("MDR")** means the maximum rate, in MMBTU per hour, up to which rate of delivery, the authorised entity shall deliver natural gas to the shipper at the relevant exit point as specified in the access arrangement;
- (zc) **"maximum off-take rate" ("MOR")** means the maximum rate, in MMBTU per hour, at which the shipper shall off-take natural gas at the relevant exit point as specified in the access arrangement and MOR shall be the same in value as the MDR;
- (zd) **"maximum receipt rate" ("MRR")** means the maximum rate, in MMBTU per hour, at which the authorised entity shall receive natural gas at the relevant entry point as specified in the access arrangement;
- (ze) **"MMBTU"** means Million British Thermal Units and shall be the unit for energy content of gas based on gross calorific value as defined in ISO 6976-1:1983(E) and as amended or modified from time to time;
- (zf) **"network tariff"** means the unit rate of tariff (excluding statutory taxes and levies) in rupees per million British Thermal Units (Rs./MMBTU) for all the categories of customers of natural gas in a CGD network as determined and approved by the Board;
- (zg) **"nominated quantity"** means the quantity of natural gas in MMBTU, confirmed by the shipper to the authorised entity for delivery at the designated entry point with details of off takes at the relevant exit point on daily basis for distribution or for consumption:
- Provided that no nomination shall be required for MDQ less than 0.5 MMBTU;
- (zh) **"off-spec gas"** means the natural gas delivered by the shipper

at the entry point or delivered by the a authorised entity at the exit point which does not conform to the gas parameters referred to in sub-regulation (1) of regulation 7;

(zi) **"operating pressure"** means the pressure corresponding to a particular flow rate at which the relevant section of the city or local natural gas distribution network is operated:

Provided that at no point of time the operating pressure for the network shall exceed design pressure or maximum allowable operating pressure(MAOP) as specified in relevant technical standards and specifications including safety standards regulations;

(zj) **"scheduled quantity"** means the quantity of natural gas, in MMBTU, scheduled for the specific shipper by the authorised entity at the designated entry point or exit point for distribution or self-use based on the nominated capacity and in accordance with the provisions of the access arrangement;

(zk) **"shipper"** means a consumer, a marketer or any authorised entity who intends to utilize the capacity in the CGD Network:

Provided that the shipper shall be -

- (i) an existing consumer in the network of the entity;
- (ii) a body corporate with the positive net worth and be in the business for at least one year with physical business set up within the geographical area having been assessed for income tax;
- (iii) a consumer registered with the entity or with a marketer;
- (iv) a new commercial or industrial consumer with physical presence in the business; or
- (v) an entity having plan to do the business with DFR financially appraised and approved by the bank.

NOTE: In case the existing shipper has defaulted on payments or any other contractual obligation with the authorised entity, the shipper shall take No Objection Certificate (NOC) from the authorised entity before being qualified as "shipper";

(zl) **"Standard Cubic Metre" ("SCM")** means the volume of gas which occupies one cubic meter of space when such gas is at a temperature of 15.56 degrees centigrade (60° F) and at a pressure of 1013.25 milli Bar (14.696 psia);

(zm) **"Standard Temperature and Pressure" ("STP")** means temperature

and pressure as defined by IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) as air at 0°C (273.15 K, 32 °F) and 10⁵ Pascal.

(zn) **“system use gas” (“SUG”)** means the quantity of natural gas, in MMBTU, used by the authorised entity for operation and maintenance of the city or local natural gas distribution network including, but not limited to, general use of gas for compressor, prime movers, gas heaters and venting or flaring for safety requirements;

(zo) **“Unit of Measurement”** means unit for measurement of quantity of gas and shall be in million British Thermal Units (MMBTU) gross for all consumers and CNG exit point quantity shall be measured in kilograms but shall be converted to MMBTU for natural gas quantity reconciliation purpose;

(2) Words and expressions used and not defined in these regulations, but defined in the Act or in the rules or regulations made thereunder, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or in the rules or regulations, as the case may be.

3. Application.

(1) These regulations shall apply to an entity authorised to lay, build operate or expand a city or local natural gas distribution network in a geographic area under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006, immediately at the end of its exclusivity period, if any, allowed by the Board under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Exclusivity for City or Local Natural Gas Distribution Network) Regulations, 2008 from the purview of common carrier or contract carrier, and to any entity or shipper who wants access to entry point capacity, exit point capacity and delivery at CNG exit point capacity on such city or local natural gas distribution network for supply of natural gas to domestic, commercial or industrial consumers:

Provided that-

(a) the authorised entity shall allow access to shipper on non-discriminatory basis to a city or local natural gas distribution network in a geographic area subject to the threshold limits mentioned in regulation 5 at the end of the exclusivity period, if any, allowed by the Board;

(b) the development of the infrastructure shall be governed by the

Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008 and the shippers shall get their gas transported or delivered by the authorised entity-

- (i) up to the suraksha hose connecting to the burner of the domestic connections;
- (ii) up to the metering point in case of commercial and industrial connections;
- (iii) up to compressor exit point in case of CNG station.

Note: (i) The authorised entity shall maintain its entire asset upto suraksha hose for all times in conformity with the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications Including Safety Standards for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008.

(ii) The metering point means the location where gas measurement is carried out which will include metering device, equipment and pressure reduction upto desired pressure at exit point.

(iii) Compressor exit point shall include the filling nozzle and CNG measurement facilities.

Provided further that-

(a) the charges for transportation for distant connections shall be as agreed between the authorised entity and the shipper in the access arrangement till the time when connection is covered under regulation 9 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Exclusivity for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008;

(b) the authorised entity shall provide connectivity for distant connection for the shipper on his request subject to techno-safety considerations and cost on that account shall be borne by the authorised entity or shall be adjusted in the tariff in case the cost is borne by the shipper as mutually agreed between the shipper and the authorised entity;

(c) the authorised entity may refuse access to distant connections on techno-safety considerations and in such cases the authorised entity shall intimate the shipper and the Board the reasons for the same within thirty days of receiving such request from the shipper.

4. Capacity declaration.

(1) For the first time, the authorised entity shall declare 180 days before the end of its exclusivity period the entry point capacity, the exit point capacity and the CNG exit point capacity for open access at all entry points and exit points on its city or local natural gas distribution network and web host the same in their website accordance with the provisions of these regulations and the authorised entity may declare or web host capacity at DPRS level for PNG and capacity at mother stations (Cascade filling capacity) for CNG:

Provided that -

- (a) the capacity in a CGD network for open access on cumulative basis at all entry points shall be twenty percent of the capacity of the CGD network or the quantity of gas flowing in the CGD network whichever is higher and when such extra capacity in a CGD network touches ten percent limit, then, the authorised entity shall raise this capacity to twenty percent. The Board may on a *suo motu* basis and after following the due process of public consultation may ask an authorised entity to build extra capacity on such time lines and other terms and conditions as may be specified by the Board.
 - (b) a consumer or shipper who is getting gas through the authorised entity during the exclusivity period shall have the right to reserve such capacity after the end of exclusivity period and in case the shipper is willing to relinquish the capacity, then, the shipper shall inform the authorised entity sixty days in advance.
- (2) The successive capacity declaration shall be done by the third week of every month.
- (3) The capacity of the CGD network system for entry or exit points on city or local natural gas distribution network shall be determined as per the relevant regulations.
- (4) The authorised entity can add or abandon any existing entry points or exit points on the CGD network on techno-economic considerations:

Provided that any existing customer on the network is not adversely affected by the decision of the authorised entity:

Provided further that the authorised entity shall give a notice of at least sixty days and seek comments of the shippers in case of abandoning any of the existing entry or exit points.

5. Capacity booking.

- (1) The authorised entity shall publish for public consultation an information memorandum, in the format specified in Schedule-II on its website as well as in a national daily and a vernacular daily newspaper, seeking capacity booking for the entry points and exit points capacity on its city or local natural gas distribution network while CGD network is opened for access to the shippers.
- (2) For the first time, public consultation shall commence at least 180 days prior to end of the exclusivity period of the authorised entity from the purview of common or contract carrier .
- (3) Interested shippers shall submit in format specified in Schedule-III their offers to the authorised entity for nominating the capacity booking within ninety days from the date of commencement of the public notice for capacity booking.
- (4) The sum of the requested entry points MDQ shall be greater than or equal to 10000 standard cubic meter per day (scmd), and the sum of cumulative off take at relevant exit point shall be greater than or equal to 100 scmd for domestic segment. The shipper can start gas sales after booking capacity in any of the domestic, industrial or commercial customers but second such supply shall be considered once they have achieved 100 scmd supplies to domestic consumers:

Provided that these units shall be achieved within the period as agreed between the shipper and the authorised entity in the access arrangement.

- (5) The capacity booking shall be decided by the authorised entity in a transparent manner based on the highness of the product of the sum of the entry points MDQ and the period of capacity booking. The scheduled quantity to each shipper shall be declared and webhosted by the authorised entity.
- (6) Capacity booking shall be finalized within thirty days of the end of the period as specified under sub-regulation 3 at all entry points and exit points and other relevant terms and conditions through an access arrangement.
- (7) The authorised entity shall publish information on the capacity booking at the entry points capacity, exit points capacity and CNG exit points capacity on the city or local natural gas distribution network in

the format specified in Schedule-II, on its website by third week of each month on a continuous basis and schedule the capacity in such a manner that the capacity can be utilized effectively from the first working day of every month.

- (8) Capacity booking shall be finalized in terms of entry points MDQ and exit points MDQ and other relevant terms and conditions through an access arrangement.

6. Obligation of shippers and entity.

- (1) The authorised entity shall be responsible for compliance with all the applicable regulations for the system from gas receipt to delivery point.
- (2) Shipper shall be responsible for compliance with all the applicable regulations for the system before the gas receipt by the authorised entity and after gas is delivered to the shipper.
- (3) Both authorised entity and shipper shall comply with the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Code of Practice for Quality of Service for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2010.

7. Gas parameters.

- (1) The authorised entity shall define in the access arrangement the threshold limits for gas parameters on non-discriminatory basis at entry points such as the acceptable range of pressure and temperature, the acceptable CV band and the acceptable threshold limits for other elements in natural gas like CO₂, N₂, O₂ etc.:

Provided that the threshold limit for such elements shall be as specified in Schedule-IV. However, in case the CGD network has been established exclusively based on Coal Bed Methane (CBM) gas, Liquefied Natural gas (LNG) or Coal Mine Methane (CMM) from open cast mining, when the gas specifications do not conform to specification under Schedule-IV, a specific approval shall be obtained from the Board. Threshold limits for various parameters of natural gas shall be specified in the access arrangement.

- (2) If the natural gas delivered at the entry points by the shipper does not meet the requirements of natural gas in terms of gas parameters as specified in the access arrangement and as specified in these regulations, the authorised entity may-

(a) refuse to accept it; or

(b) accept it; and charge a cost of service ("off-spec gas charges") from the shipper, as mutually agreed in the access arrangement, for any additional facilities or treatment for upgrading the natural gas to network requirements and capacity adjustment for transportation of such natural gas:

Provided that such off-spec gas does not adversely affect the quality specifications committed by the authorised entity at the exit points to the existing customers.

- (3) The authorised entity may deliver commingled gas at the exit points, and the quality of gas at the exit points shall be within the acceptable band agreed in the access arrangement.
- (4) The authorised entity shall odourise the entire gas as per the provisions of relevant standards notified by the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board before delivering to any users.

8. Facilities at the entry points and exit points.

- (1) The shipper shall arrange to deliver metered natural gas at the entry points at his cost unless agreed otherwise between the shipper and the authorised entity.
- (2) The authorised entity shall provide facilities for transfer of custody and delivery of natural gas at the entry points at the cost of the shipper or as agreed in the access arrangement, including measuring equipment or any other system as agreed between the authorised entity and the shipper:

Provided that the authorised entity may install its check meter at the entry points at his own cost in case it desires so.

- (3) The shipper shall ensure that the authorised entity has ready access to the measuring equipment installed in his premise.
- (4) The shipper or its transporter upstream of its city gate station shall own, operate and maintain facilities upstream of the entry points at his own cost and risk unless the facilities are provided by the authorised entity under a separate contract.
- (5) Connectivity to the authorised entity from measuring points within shipper scope shall be provided and cost shall be borne by the one who

triggers such requirement.

- (6) The authorised entity shall provide facilities, including measuring equipment, pressure reduction and control facilities, odorisation facilities, gas chromatography or any other system as agreed between the authorised entity and the shipper, required for transfer of custody and delivery of natural gas to the shipper at the exit points at the cost of the authorised entity except for industrial and commercial consumers where the cost shall be borne by the shipper as agreed in the access arrangement. All domestic customers shall be connected through suitable meters.
- (7) The shipper shall ensure that the authorised entity has ready access at the relevant exit points to the measuring equipment or any other system as agreed between the authorised entity and the shipper.
- (8) At any time, if the entity intends to upgrade meters of its consumers and shippers, then, it can do so on non-discriminatory basis. In case, the shippers want to upgrade the meters of its consumers, it can do so and cost of up-gradation shall be borne by the shippers.
- (9) The maintenance of the facilities at the entry points and exit points shall be carried out as agreed in the access arrangement.

9. Nomination, scheduling, metering, allocation and billing.

- (1) The nomination, scheduling, metering, allocation and billing procedure shall be specified in the access arrangement and the -
 - (a) shipper shall nominate the quantity for the following day and the week and inform the authorised entity twenty-four hours prior to commencement of the following day. The nomination and scheduling for the entry points and exit points shall be made for each hour of the following day on a best endeavor basis for system operation purpose;
 - (b) the shipper shall submit the re-nomination to the authorised entity within the time specified in the access arrangement.
- (2) In case the shipper do not have dedicated metering at the entry and exit points, natural gas quantities shall be allocated to the shippers on pro-rata basis to their respective delivered quantities based on the scheduled quantities.

- (3) The authorised entity shall regularly measure the quality of gas by the gas chromatograph unless otherwise agreed between the authorised entity and the shipper in the access arrangement.
- (4) Total error limit and accuracy of the measuring equipment shall be as agreed to between the authorised entity and the shipper subject to any mandatory specifications, if any, laid down by the Board through regulations.
- (5) The authorised entity shall carry out verification, calibration or proving of measuring equipment as per relevant codes and standards.

10. Gas accounting and reconciliation.

- (1) Gas accounting shall be done on a daily basis in energy terms, in MMBTU, and shall be based on Gross Calorific Value as defined in ISO 6976-1:1983(E) and as amended or modified from time to time:

Provided that -

- (a) the daily gas delivered at the relevant entry points shall be directly measured through system as agreed between the authorised entity and the shipper;
 - (b) for industrial and commercial customers, the daily off take at the relevant exit points shall be measured through system as agreed between the authorised entity and the shipper;
 - (c) for domestic customers, the daily off-take for gas accounting shall be assumed based on the average consumption of gas by the relevant domestic customers and reconciliation shall be done within seven days of the end of every billing cycle as per the methodology agreed in access arrangement;
 - (d) for CNG, the daily off take of gas shall be measured in kilogram (kg) on the meter at the outlet of the online compressor and shall be converted to MMBTU for gas accounting based on the average quality parameters of the gas in the network on the relevant day, measured at CGS in the event gas quality measurement are not available at CNG station. For this purpose, a homogenous zone has to be defined by the authorised entity upfront from time to time and the same has to be informed to the shipper.
- (2) The detailed measurement and gas accounting procedure shall be

specified in the access arrangement.

11. Charges.

(1) The shipper shall pay to the authorised entity the following charges for using its city or local natural gas distribution network as specified on the invoice generated by the authorised entity, namely: -

- (a) network tariff which includes gas transportation in CGD network, odourisation, gas metering, gas reconciliation and system use gas;
- (b) compression charges;
- (c) overrun charges, if applicable;
- (d) system imbalance charges, if applicable;
- (e) off-spec gas charges, as agreed in access arrangement;
- (f) applicable taxes;
- (g) any other charges mutually agreed in the access arrangement such as -

- (i) ship or pay;
- (ii) transport or pay;
- (iii) technical up gradation of system;
- (iv) R&D;
- (v) any other charges with the approval of the Board.

12. Network tariff and compression charges.

(1) The network tariff charges for each day shall be equal to the product of the network tariff and the sum of the relevant exit points delivered quantity:

Provided that this quantity does not attract any other charge in terms of the provisions contained in access code:

Provided further that the shippers delivery or pay provision shall be applied as per the contractual arrangement between the shippers and the authorised entity for consumer more than 0.5 MMBTU daily capacity.

(2) The compression charges for each day shall be equal to the product of the compression charge and the sum of the relevant CNG exit points delivered quantity:

Provided that this quantity does not attract any other charge in terms of the provisions contained in access code:

Provided further that the shippers deliver or pay provision shall be applied as per the contractual arrangement between the shippers and the authorised entity for consumer more than 0.5 MMBTU daily capacities.

13. Authorised entity's shortfall charges.

- (1) The authorised entity shall have an obligation to provide capacity up to the scheduled quantity unless there is a planned maintenance as specified in regulation 19 or there is a *force majeure* as specified in regulation 20 or there is an emergency as specified in regulation 21.
- (2) The authorised entity shall pay charges to the shipper, as agreed in the access arrangement, in case the authorised entity is unable to provide capacity up to the scheduled quantity unless there is a planned maintenance as specified in regulation 19 or there is a *force majeure* as specified in regulation 20 or there is an emergency as specified in regulation 21.

14. Overrun charges.

- (1) The methodology for calculation of the overrun quantity for a shipper at each entry point, in MMBTU, on a day shall be specified in the access arrangement on non discriminatory manner.
- (2) The shippers shall not have to pay any overrun charges for overruns up to 5 % of the scheduled quantity. Overruns beyond 5 % of the scheduled quantity shall attract overrun charges.
- (3) The overrun charges for overruns greater than 5% of the scheduled quantity shall be reasonable, transparent and non-discriminatory and shall be specified in the access arrangement.
- (4) The overrun charges payable by the shipper for any particular entry point in respect of a day shall be equal to the product of the overrun quantity calculated as stipulated in sub-regulation (1) of this regulation and the overrun rate as specified in the access arrangement on non-discriminatory basis.
- (5) The overrun charges payable by the shipper in respect of a day shall be equal to the sum of the overrun charges payable in respect of each entry point on that day.

15. System imbalance charges.

- (1) Positive imbalance quantity on a day, in MMBTU, shall be the excess of the aggregate of the shipper's quantities delivered at the entry points over the aggregate of the shipper's quantities off taken at the exit points.
- (2) Negative imbalance quantity on a day, in MMBTU, shall be the excess of the aggregate of the shipper's off taken quantities at the exit points over the aggregate of the shipper's delivered quantities at the entry points.
- (3) The cumulative imbalance at the start of a day shall be equal to the cumulative imbalance at the end of the previous day. At the start of the first day when natural gas is delivered by the shipper, the cumulative imbalance shall be zero.
- (4) The cumulative imbalance at the end of a day shall be equal to the sum of the cumulative imbalance at the start of the day and the imbalance for the day.
- (5) The shipper shall not have to pay any imbalance charges upto a cumulative positive imbalance of 5% and cumulative negative imbalance of 3% of the sum of the relevant entry points MDQ. Authorised entity shall notify the imbalance quantity to shipper on daily basis so as to provide an opportunity to shipper to cure imbalances while submitting nominated quantity for subsequent period. In case the shipper is unable to cure such imbalances in a period of fifteen days, then, the authorised entity shall have the right to adjust daily nomination at the entry points and exit points to cure such imbalances to ensure safety and integrity of the city or local natural gas distribution network. Imbalance rates for cumulative positive imbalance and cumulative negative imbalance over and above these limits shall be reasonable, transparent and non-discriminatory.
- (6) The imbalance charges payable by the shipper for any particular day shall be equal to the product of the cumulative imbalance quantity calculated as stipulated in sub-regulation 4 of this regulation and the imbalance rates specified in the access arrangement.
- (7) The daily imbalance gas quantities shall be settled between the shipper and the authorised entity every fortnight considering actual daily metered amounts for industrial, commercial and CNG segments and assuming a mutually agreed daily consumption quantity of gas for domestic segment; the methodology for the

settlement shall be specified in the access arrangement. The reconciliation with actual metered quantity for the domestic segment shall be as agreed in the access arrangement between the shipper and the authorised entity.

- (8) There shall be established an escrow account to be maintained by the authorised entity which shall be credited with all charges received by the authorised entity on account of imbalances and overruns under these regulations and the authorised entity shall be eligible to withdraw from the escrow account the payment towards his contractual obligations with reference to supply or pay and extra efforts to compress gas in case of negative imbalance and for management of the CGD network due to such imbalances created by the shippers.
- (9) The authorised entity shall submit audited statement of the escrow account referred to in sub-regulation 8 on an annual basis to the Board.
- (10) The balance amount available in the escrow account, after the eligible withdrawal by the authorised entity, under sub regulation (8) may be utilized in such a manner and for such purposes as may be specified by the Board.

16. Hourly delivery, off take and receipt rates.

- (1) The MDR, MOR and the MRR, as well as the authorised deviations from the hourly scheduled rates for which the shipper shall not have to pay any charges, shall be specified in the access arrangement so as to ensure the safety and integrity of the city or local natural gas distribution network.
- (2) The charges for deviations in hourly delivery and off take rates that exceed these limits shall be specified in the access arrangement:

Provided that the shipper shall not be required to pay any charges for deviations in hourly delivery and off take rates that exceed the limits specified in the access arrangement for the first sixty days of commencement of its access to the entry and exit points capacity on the city or local natural gas distribution network if the shipper has booked capacity under regulation 5.

17. System Use Gas (SUG), Lost and Unaccounted for Gas (LUAG).

The authorised entity shall absorb SUG and LUAG, if any, and shall not

pass on liability on this account to any shipper:

Provided that the authorised entity shall be free to arrange this natural gas from any other source.

18. Line Pack (LP).

The authorised entity shall arrange for LP gas at all time and no charges shall be passed on to the shipper. For the purpose of tariff fixation, this shall form non-depreciable capex at original filling price.

19. Planned maintenance.

(1) The authorised entity shall intimate the shipper on non-discriminatory basis of its maintenance plan for a defined period well ahead of time, as agreed in the access arrangement, identifying those entry and exit points where natural gas flows may be restricted by maintenance works, the extent of the restrictions and the time of occurrence. The authorised entity shall plan such maintenance so as to minimize disruption to affected parties.

(2) The planned maintenance shut down period for any customer, in all the segments, except domestic, shall not exceed ten days in a year. For domestic customers, the service obligations specified in the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008 and other relevant regulations shall prevail.

20. Force majeure.

(1) The affected party shall on occurrence of any *force majeure* -

(a) as soon as reasonably practicable notify each of the other parties of the occurrence and nature of the *force majeure*, the expected duration thereof insofar as the same can reasonably be assessed and the obligations of the affected party performance of which is affected thereby; and

(b) from time to time thereafter provide to each other party reasonable details of the following, namely: -

(i) developments in the matters notified under sub-regulation (a) of this regulation;

(ii) the steps being taken by the affected party to overcome the *force majeure* occurrence or its effects and to resume performance of its relevant obligations.

(2) The authorised entity and the shipper shall be relieved of their respective obligations arising out of and in the course of *force majeure*.

21. Operating procedures and emergencies.

(1) The operating procedures to be followed by the authorised entity and the shipper during regular operations as well as in the event of an emergency shall be included in the access arrangement.

(2) An emergency may exist -

(a) by reason of a leakage, or suspected leakage, of gas; or

(b) in following circumstances, namely: -

(i) the safety of the network is at risk;

(ii) the safe conveyance of gas through the network is at risk;

(iii) gas conveyed by the network is at such a pressure or of such a quality as to constitute, when supplied to the customer's premises, a danger to life or property; or

(iv) any other circumstances reasonably believed by the authorised entity to constitute an emergency (which, for the avoidance of doubt, may include circumstances upstream of an entry point), and, where the context requires, a reference to an emergency includes the event or circumstance which gives rise to such emergency.

(3) The authorised entity shall take steps to restore normal operation of the network as soon as reasonably possible after an emergency and the restoration of services to the various customer segments in case of emergencies or disruptions or interruptions in the city or local natural gas distribution network shall be carried out in the following order of priority, namely: -

(a) domestic PNG customers;

- (b) essential services (hospitals, clinics, milk supplies, etc);
- (c) CNG customers;
- (d) Others.

22. Confidentiality of information.

- (1) All documentation, information, data, submissions and comments disclosed or delivered whether in writing or otherwise by any entity to the authorised entity, shipper or to any other party either in connection with or in consequence of the requirements of these regulations shall be regarded and treated as confidential and shall not be disclosed either in full or part of any or all of the documentation, information, data, submissions and comments including the contents and copies thereof in any form except in connection with any proceedings in any court.

23. Miscellaneous.

- (1) The Board shall have power to issue clarifications with regard to these regulations and in case of any dispute, the clarification given by the Board shall be final and binding.
- (2) If any dispute arises with regards to the interpretation of any of the provisions of these regulations, the decision of the Board shall be final.

Schedule-I

(see regulation 2(1) (i))

Conversion formula for converting mass of CNG into energy value

$$\text{Natural Gas (MMBTU)} = \text{Mass of CNG (Kg)} \times \text{GCV} \times \frac{3.96828 \times 10^{-6}}{\rho}$$

Where,

1. ρ = Density of Natural Gas at STP (kg/Sm^3).
- STP = Standard Temperature and Pressure – as defined by IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) as air at 0°C (273.15 K ; 32°F) and 10^5 Pasca!
- (1 Pa = $10^{-6}\text{N}/\text{mm}^2 = 10^{-5}\text{ bar} = 0.1020\text{ kp}/\text{m}^2 = 1.02 \times 10^{-4}\text{ m H}_2\text{O} = 9.869 \times 10^{-6}\text{ atm} = 1.45 \times 10^{-4}\text{ psi (lbf}/\text{in}^2)$)
2. GCV = Gross Calorific Value in (Kcal/Sm^3)
3. GCV and ρ shall be from homogenous zone to be defined by the authorised entity upfront from time to time.

Schedule -II

(see regulation 5(1) and 5(7))

Format for public consultation for capacity booking on city or local natural gas distribution network

1. Name of entity :
2. Name of City or Local Natural Gas Distribution Network:
3. Name of entry points and entry points capacity (in MMBTU at specified GCV) at each point:
4. Name of exit points, exit point capacity (in MMBTU at specified GCV) at each point and CNG exit point capacity (in kgs) at each point:
5. Required Gas parameters at entry points:
 - (a) acceptable range of pressure and temperature:
 - (b) acceptable range of the CV band:
 - (c) acceptable limits for other elements in natural gas like CO₂, N₂, O₂, etc.

Schedule - III

(see regulation 5(3))

Format for requesting capacity on city or local natural gas distribution network

1. Name of entity:
2. Name of City or Local Natural Gas Distribution Network:
3. Name of entry points and entry point capacity requirement (in MMBTU) at each point:
4. Name of exit points, exit point capacity requirement (in MMBTU) at each point and CNG exit point capacity requirement (in Kgs) at each point:
5. Gas parameters at entry points (to be specified separately for each entry point):
 - (a) range of pressure and temperature
 - (b) the CV band
 - (c) estimated limits for other elements in natural gas like CO₂, N₂, O₂ etc.

6. Required gas parameters at exit points (to be specified separately for each exit point):
- acceptable range of pressure and temperature
 - acceptable range of the CV band
 - acceptable limits for other elements in natural gas like CO₂, N₂, O₂ etc.
7. Start date and tenure (in number of days) for which access to capacity is required:

Schedule - IV

(see regulation 7(1))

Threshold limit for gas parameters on City or Local Natural Gas Distribution Network

Parameters	Limit
Hydrocarbons dew pt (Degree Celsius, max.)	0
Water dew point (Degree Celsius, max)	0
Hydrogen Sulphide (ppm by wt. max.)	5
Total Sulphur (ppm by wt. max.)	10
Carbon dioxide (mole % max.)	6
Total inerts (mole %)	8
Temperature (Degree Celsius, max.)	55
Temperature (Degree Celsius, min.)	10-20
Oxygen(% mole vol. mc.x.)	0.2
Wobbe Index (for domestic consumers)	39-53*

Note : * based on MJ/SCM

RATAN P. WATAL, Secy.
[ADVT. III/4/188/10-Exty.]